ब्रिक्स देशों में बढ़ा भारत का निर्यात

- चार प्रमुख ब्रिक्स देशों को निर्यात 34% बढ़ा
- जापान, इटली और दक्षिण कोरिया में भी तेजी

नवभारत न्यूज नेटवर्क. नयी दिल्ली, 21 सितंबर चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच माह (अप्रैल-अगस्त) के दौरान चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस को भारत का निर्यात 34 प्रतिशत बढ़कर 19.9 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया.

इस वृद्धि में चीन को भेजे जाने वाले सामान में 39 प्रतिशत 19.6 अरब डॉलर की तेजी का मुख्य रूप से योगदान रहा. इससे भारत के निर्यात विस्तार के लिए ब्रिक्स समूह के बढ़ते महत्व का पता चलता है. एक अधिकारी ने कहा कि भारत जैसे-जैसे ब्रिक्स समूह के साथ अपनी भागीदारी गहरी कर रहा है, सबसे मजबूत रफ्तार इसके संस्थापक सदस्यों चीन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और रूस की ओर से देखने को मिल रही है.

देश/क्षेत्र	अवधि 2026-27 (अप्रैल-अगस्त)	वृद्धि
चीन	$9.6 अरब	39%
दक्षिण अफ्रीका	—	58%
ब्राजील	—	13%
रूस	—	11%
चार ब्रिक्स देश	$19.9 अरब	34%
जापान	$3.43 अरब	43%
इटली	$3.92 अरब	30%
दक्षिण कोरिया	$3.21 अरब	22%

ब्रिक्स के 4 देशों को एक्सपोर्ट बढ़ा

- मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से मिलकर बने ब्रिक्स का विस्तार 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को शामिल करके किया गया था, जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ.
- बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाइलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम पिछले साल ब्रिक्स के भागीदार देश बने, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इन 4 प्रमुख ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं को होने वाला निर्यात 34 प्रतिशत बढ़ा है, जो अप्रैल-अगस्त, 2025-26 के 14.9 अरब डॉलर से बढ़कर अप्रैल-अगस्त, 2026-27 में 19.9 अरब डॉलर हो गया.
- भारत के कुल निर्यात में इन चार देशों की हिस्सेदारी चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में बढ़कर 9.2 प्रतिशत हो गई, जो 2025-26 की समान अवधि में 8.1 प्रतिशत थी प्रमुख ब्रिक्स देशों में चीन सबसे बड़ा योगदानकर्ता बनकर उभरा.
- वित्त वर्ष 2026-27 के पहले पांच महीनों में चीन को भारतीय निर्यात 39 प्रतिशत बढ़कर 9.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया, दक्षिण अफ्रीका के मामले में सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई और इस अवधि में वहां होने वाला निर्यात 58 प्रतिशत बढ़ा.

दुनिया की नजर भारत पर, प्रतिस्पर्धा जरूरी

नवभारत न्यूज नेटवर्क नयी दिल्ली, 21 सितंबर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई पर भी ब्याज दर बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है. यस बैंक की एक शोध - रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दरों का अंतर और कम हुआ है. ऐसे में अक्टूबर में आरबीआई की ओर से रेपो रेट बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है.

हालांकि, आरबीआई का फैसला घरेलू आर्थिक विकास और महंगाई की स्थिति पर निर्भर करेगा. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती बनी हुई है. अगस्त में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई बढ़ी है. मुख्य महंगाई यानी कोर इंफ्लेशन में भी बढ़ोतरी हुई है.

टाटा विवाद में कानूनी खर्च पर रोक

- टीईडीटी ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने जताई आपत्ति
- ट्रस्ट फंड से खर्च की आशंका पर सवाल
- टाटा संस में ट्रस्ट्स की 66% हिस्सेदारी अहम

नवभारत न्यूज नेटवर्क नयी दिल्ली, 21 सितंबर टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट (टीईडीटी) के ट्रस्टी मेहली मिस्त्री ने साफ कर दिया है कि ट्रस्ट टाटा ट्रस्ट्स और टाटा संस के बोर्ड के बीच एन चंद्रशेखरन की दोबारा को नियुक्ति लेकर चल रहे विवाद से जुड़े किसी भी कानूनी खर्च का भुगतान नहीं करेगा.

टीईडीटी के कोष का अनुमान करीब 5,000 करोड़ रुपये बताया गया है. मेहली ने टाटा ट्रस्ट्स के सीईओ सिद्धार्थ शर्मा को ईमेल भेजकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है. इसकी प्रति टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल एन टाटा और टीईडीटी के दूसरे ट्रस्टी जेएन मिस्त्री को भी भेजी गई है. मेहली ने कहा कि ट्रस्टी, टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच चल रहा मुकदमा पिछले 150 वर्षों में अभूतपूर्व है. उन्होंने विवाद में शामिल लोगों के अनुभव या रवैये पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए टीईडीटी के रुख को स्पष्ट किया. उनका कहना है कि टीईडीटी टाटा संस का शेयरधारक नहीं है और इसलिए इन विवादों से अलग है.

मेहली मिस्त्री के ईमेल में यह नहीं कहा गया है कि टीईडीटी का पैसा फिलहाल इस विवाद से जुड़े कानूनी खर्च में इस्तेमाल किया जा रहा है. ईमेल में ऐसा भी नहीं कहा गया है कि इस तरह के खर्च का कोई प्रस्ताव सामने आया है. उनकी आपत्ति इस आशंका पर आधारित है कि टीईडीटी से भविष्य में ऐसे कानूनी खर्च उठाने को कहा जा सकता है.

रतन टाटा ट्रस्ट के पास 23 .56 फीसदी हिस्सेदारी

मेहली ने मांग की है कि उनका ईमेल 20 नवंबर 2026 को होने वाली टीईडीटी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की अगली बैठक में रखा जाए और रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए, चंद्रशेखरन ने 12 अगस्त को टाटा संस बोर्ड को बताया था कि वह मौजूदा कार्यकाल 20 फरवरी 2027 को खत्म होने के बाद दोबारा नियुक्ति के लिए अपना नाम पेश नहीं करेंगे. इसके बाद सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट (एसडीटीटी) ने उनके फैसले का सम्मान करते हुए नए चेयरमैन के चयन के लिए चयन समिति बनाने की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया. लेकिन 17 सितंबर को टाटा संस बोर्ड ने 4 :1 के मतदान से चंद्रशेखरन को अगले पांच साल के लिए फिर नियुक्त करने को मंजूरी दे दी. नोएल टाटा ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट दिया. विवाद में टाटा ट्रस्ट्स की टाटा संस में बहुमत हिस्सेदारी भी अहम है. टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की करीब 66 फीसदी इक्विटी शेयर पूंजी है. 2 प्रमुख ट्रस्टों में सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के पास 27 .98 फीसदी और सर रतन टाटा ट्रस्ट के पास 23 .56 फीसदी हिस्सेदारी है. दोनों की संयुक्त हिस्सेदारी 51 .54 फीसदी है.

फेड के फैसले से आरबीआई पर दबाव

- अक्टूबर में रेपो रेट बढ़ने की संभावना
- भारत-अमेरिका ब्याज अंतर हुआ कम

नयी दिल्ली, 21 सितंबर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के सख्त रुख के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई पर भी व्याज दर बढ़ाने का दबाव बढ़ सकता है.

यस बैंक की एक शोध - रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच व्याज दरों का अंतर और कम हुआ है. ऐसे में अक्टूबर में आरबीआई की ओर से रेपो रेट बढ़ाने की संभावना बढ़ गई है. हालांकि, आरबीआई का फैसला घरेलू आर्थिक विकास और महंगाई की स्थिति पर निर्भर करेगा.

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती बनी हुई है. अगस्त में खुदरा महंगाई यानी सीपीआई बढ़ी है. मुख्य महंगाई यानी कोर इंफ्लेशन में भी बढ़ोतरी हुई है.

एनएसई आईपीओ को 1 .75 गुना सब्सक्रिप्शन

जीएमपी घटकर 59 पर आया, 3 .31% संभावित लिस्टिंग गेन, 22 सितंबर को अलॉटमेंट संभव

नवभारत न्यूज नेटवर्क. नई दिल्ली, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (एनएसई) के बहुप्रतीक्षित आईपीओ को अंतिम दिन निवेशकों की ओर से 1.75 गुना अभिदान मिला. 22,569 करोड़ रुपये के इस आईपीओ में 8,86,42,911 शेयरों के मुकाबले 12,89,85,128 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं.

निवेशकों की श्रेणी में सबसे ज्यादा मांग गैर-संस्थागत निवेशकों की रही, जिनका हिस्सा 2.89 गुना अभिदान हुआ. इसके बाद पात्र संस्थागत खरीदारों का हिस्सा 2.29 गुना भरा. खुदरा निवेशकों की ओर से 95 प्रतिशत अभिदान मिला.आईपीओ की चर्चा के बीच ग्रे मार्केट में एनएसई

के शेयर का प्रीमियम भी कमजोर हुआ है. इनवेस्टग्रेन के आंकड़ों के अनुसार 21 सितंबर की सुबह 11:30 बजे तक ग्रे मार्केट प्रीमियम) 59 रुपये था. कंपनी ने आईपीओ के लिए 1,700 से 1,785 रुपये प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया है. ऊपरी मूल्य दायरे के आधार पर 59 रुपये के जीएमपी से अनुमानित लिस्टिंग कीमत करीब 1,844 रुपये बनती है. यानी इश्यू मूल्य की तुलना में करीब 3.31 प्रतिशत संभावित लिस्टिंग प्रीमियम का संकेत मिलता है. हालांकि, जीएमपी अनौपचारिक संकेतक है और इससे वास्तविक लिस्टिंग कीमत या निवेश पर मिलने वाले रिटर्न की गारंटी नहीं होती.

एनएसई के आईपीओ में मौजूदा शेयरधारकों की ओर से 12.64 करोड़ इक्विटी शेयरों की पूरी तरह बिक्री पेशकश शामिल है. इसलिए इस आईपीओ से एनएसई को सीधे कोई रकम नहीं मिलेगी. शेयरों की बिक्री से प्राप्त राशि, इश्यू से जुड़े खर्चों को छोड़कर, बेचने वाले शेयरधारकों को जाएगी. कंपनी का लक्षित मूल्यांकन करीब 4.42 लाख करोड़ रुपये है.

> आईपीओ से पहले 16 सितंबर को एनएसई ने कई बड़े घरेलू और वैश्विक निवेशकों से 6,746 .2 करोड़ रुपये जुटाए थे. इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम सबसे बड़ा निवेशक रहा. एक्सचेंज ने ऊपरी मूल्य दायरे पर 189 एंकर निवेशकों को 3.77 करोड़ इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं .कर्मचारियों के लिए 70 करोड़ रुपये के शेयर आरक्षित रखे गए हैं. इन्हें अंतिम निर्गम मूल्य से 170 रुपये प्रति शेयर की छूट पर देने का प्रावधान है. शेयरों का आवंटन 22 सितंबर को अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, जबकि एनएसई के शेयर 24 सितंबर से बीएसई पर कारोबार के लिए उपलब्ध हो सकते हैं.

लंबित मामलों के निपटारे और स्वच्छता पर जोर

नवभारत न्यूज नेटवर्क नई दिल्ली, 21 सितंबर. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान 6.0 चलाने की तैयारी में है. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के तहत आयोजित होने वाले इस अभियान का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता और नागरिकों के अनुभव को बेहतर बनाना है.

इस बार अभियान में ई-कचरे के प्रभावी संग्रह, पृथक्करण और निपटान पर विशेष जोर दिया जाएगा. इसके साथ ही जनता से सीधे जुड़े क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों को भी अभियान में शामिल किया जाएगा. अभियान का तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर तक चल रहा है. इस दौरान मंत्रालय कार्यालयों से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक कर्मचारियों को

अभियान के प्रति जागरूक कर रहा है और कार्ययोजना तैयार की जा रही है. 2 से 31 अक्टूबर तक चलने वाले मुख्य चरण में स्वच्छता, ई-कचरा निपटान, कामकाज के डिजिटलीकरण, अभिलेखों की छंटाई, कार्यालयों में स्थान प्रबंधन और लंबित सांसद संदर्भों, राज्य सरकार के संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय के संदर्भों तथा लोक शिकायतों के निपटारे पर काम किया जाएगा.

विशेष अभियान 5.0 के दौरान मंत्रालय और उसके विभिन्न संगठनों ने 23,162 भौतिक फाइलों की समीक्षा की. इनमें से 4,280 फाइलों की छंटाई की गई.

और कार्यालयों में 21,045 वर्गफुट जगह खाली कराई गई. इसके अलावा 22.89 लाख रुपए के कबाड़ का निपटान किया गया. इस अवधि में 1,045 स्वच्छता अभियान चलाए गए. सांसद संदर्भों में 81 प्रतिशत से अधिक और लोक शिकायतों में 99 प्रतिशत मामलों का निपटारा किया गया.

22,365 लोक शिकायतों का निपटारा

> प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के निर्देशों के बाद नवंबर 2025 से सितंबर 2026 तक अभियान की गतिविधियों को आगे बढ़ाया गया. इस दौरान मंत्रालय और उसके संगठनों ने 22,365 लोक शिकायतों, 4,850 लोक शिकायत अपीलों और 226 सांसद संदर्भों का निपटारा किया. समीक्षा के बाद 626 भौतिक और 127 इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की छंटाई की गई तथा करीब 1,167 वर्गफुट कार्यालयी जगह खाली कराई गई मंत्रालय के अधिकारियों ने क्षेत्रीय कार्यालयों और संस्थानों का दौरा कर कर्मचारियों को अभियान के प्रति जागरूक किया और गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा भी की. मंत्रालय और उसके संगठन विशेष अभियान 6 .0 के माध्यम से स्वच्छता, लंबित मामलों के निपटारे और अधिक जवाबदेह एवं नागरिक केंद्रित प्रशासन की दिशा में इन प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे.

गोबर से गांवों में खुलेंगे कमाई के रास्ते

नवभारत न्यूज नेटवर्क नयी दिल्ली, 21 सितंबर सरकार ने 23,731 करोड़ रुपये की 'गोबरधन' योजना को लागू कर दिया है. इस योजना के तहत तहत कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादकों को उनकी बिक्री योग्य गैस की 100 प्रतिशत तक सुनिश्चित खरीद, कम से कम 10 साल के लिए प्रशासित मूल्य और पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जारी परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी. इसका उद्देश्य देश में सीबीजी उत्पादन को बढ़ाना, परियोजनाओं के लिए अधिक अनुकूल बाजार तैयार करना और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना है.

एलपीजी सब्सिडी के लिए आधार जरूरी

- 1 अक्टूबर से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण अनिवार्य
- 27 .43 करोड़ उपभोक्ता करा चुके सत्यापन

नवभारत न्यूज नेटवर्क. नयी दिल्ली, 21 सितंबर घरेलू एलपीजी सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए 1 अक्टूबर 2026 से बड़ा बदलाव होने जा रहा है. सब्सिडी के साथ तय खुदरा कीमत पर घरेलू एलपीजी रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार

प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा. सरकार के मुताबिक, 27.43 करोड़ सक्रिय घरेलू एलपीजी उपभोक्ता पहले ही यह प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं. यह कुल सक्रिय उपभोक्ताओं का 89.9 प्रतिशत है. जिन लोगों ने प्रमाणीकरण करा लिया है.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
(CIN-L65110TN2014PLC097792)
रजिस्टर्ड ऑफिस : के आरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031
फोन : +914445644000, फैक्स: +914445644022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकताओं और सह- उधारकताओं ने **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकताओं और सह-उधारकताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। है. **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड** के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1	55007255	संपत्ति के बदले ऋण	09-Sep-2026	2,79,119.12/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. महेंद्र सिंह गौड़ 2. संगीता बाई गौड़

संपत्ति का पताः सर्वे नंबर 185, पीएच नंबर 75, वार्ड नंबर 04 में स्थित वह पूरी प्रॉपर्टी, जिसका क्षेत्रफल 1280 वर्ग फुट 118.95 वर्ग मीटर है और जो गाँव जलोदिया, तहसील और ज़िला देवास, मध्य प्रदेश में है; इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः आम रास्ता, पश्चिमः मालिक की जमीन, उत्तरः श्री भगवान सिंह का घर, दक्षिणः आम रास्ता।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
2	66006490	संपत्ति के बदले ऋण	19-Aug-2026	2,75,783.38/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. बाबूलाल यादव 2. रामकन्या बाई

संपत्ति का पताः वह पूरा बना हुआ घर नं.49, जिसका कुल क्षेत्रफल 1008 वर्ग फुट (24*42) है, जो सर्वे नंबर 356/टक्ठ-2, पीएच नं.20, ग्रामः लक्ष्मीखेड़ा, वार्ड नं.12, ग्राम पंचायतः सलरी, तहसील और जिलाः आगर, म.प्र.-465441 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं:- पूर्वः देवी सिंह का बाड़ा, पश्चिमः भेरू सिंह का बाड़ा, उत्तरः सड़क, दक्षिणः पीरूलाल का बाड़ा।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
3	105101359	होम लोन	07-Sep-2026	6,72,719.36/-

उधारकताओं और सह-उधारकताओं का नामः 1. कय्यूम खान 2. भूरी बी खान

संपत्ति का पताः वह पूरा मकान और जमीन का टुकड़ा, मकान नंबर 73, कुल प्लॉट एरिया 910 वर्ग फीट, जो गाँवः बांगर, पीएच नंबर 25, सर्वे नंबर 582, तहसील और ज़िलाः देवास, मध्य प्रदेश-455001 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः रास्ता, पश्चिमः कमल सिंह का मकान, उत्तरः अकील का मकान, दक्षिणः असलम का मकान।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
4	107459376	संपत्ति के बदले ऋण	07-Sep-2026	5,88,190.10/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नामः 1. कैलाश भुवन 2. धाना बाई

संपत्ति का पताः वह पूरा बना हुआ मकान नंबर 309, जिसका कुल क्षेत्रफल 1350 वर्ग फुट है, जो ग्राम आबादी सर्वे नंबर 719/2, पीएच नंबर 08, वार्ड नंबर 14, गाँवः अरनिया तलाई, ग्राम पंचायतः भ्याना, तहसील और ज़िलाः आगर, मध्य प्रदेश - 465441 में स्थित है, और जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः कॉमन रोड, पश्चिमः मेहरबान सिंह की जमीन, उत्तरः कालू सिंह की जमीन, दक्षिणः सरकारी जमीन।

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या	ऋण का प्रकार	धारा 13 (2) नोटिस तिथि	धारा 13 (2) नोटिस के अनुसार बकाया राशि
5	119136887	संपत्ति के बदले ऋण	12-Sep-2026	6,47,495.81/-

ऋणकताओं और सह-ऋणकताओं के नामः 1. लक्ष्मण सिंह सोंदिया 2. संतासो बाई

संपत्ति का पताः घर नंबर 169, सर्वे नंबर 914, पीएच नं. 43 कुल प्लॉट एरिया 5032 वर्ग फीट, ग्राम मुरूबार्डिया, तहसील बड़ोद, ज़िला आगर-मालवा/शाजापुर, मध्य प्रदेश की पूरी प्रॉपर्टी; और इस प्रॉपर्टी की सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः सुजान सिंह का घर, पश्चिमः राम सिंह का घर, उत्तरः सड़क, दक्षिणः कॉमन सड़क।

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)** को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा **आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड** के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/- प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)
दिनांकः 22.09.2026
स्थानः मध्यप्रदेश

समाचार विशेष

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे पंजाब

बठिंडा/नई दिल्ली, 21 सितंबर 2026 केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को पंजाब दौरे पर रहे. शिवराज सिंह ने यहां तख्त श्री दमदमा साहिब गुरूद्वारे में मत्था टेका, वहीं उन्होंने तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी में भारतीय जनता पार्टी की 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' का शुभारंभ किया और यात्रा में शामिल भी हुए, शिवराज सिंह ने यहां विशाल जनसभा को संबोधित किया.

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहली बार दमदमा साहिब आने का अवसर मिला, लेकिन यहां नशे से प्रभावित परिवारों की पीड़ा देखकर मेरा मन व्यथित है. उन्होंने कहा कि नशे के कारण कई परिवारों ने अपने बेटे खो दिए हैं, कई बहनों की गोद सूनी हो गई है और कई परिवारों के सामने जीवन का सहारा छिन गया है. शिवराज सिंह ने कहा कि मैंने उन बहनों से मुलाकात की, जिनके बेटे नशे के कारण असमय दुनिया से चले गए. किसी का बेटा 18 साल का था, किसी का 21 साल का, किसी का 27 साल का और एक बहन के पति की उम्र केवल 31 वर्ष थी. उन्होंने कहा कि कई पिता अपनी बुढ़ापे की लाठी खो चुके हैं और कई बहनों की मांग का सिंदूर नशे के कारण उजड़ गया है. साथ ही, केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि जब ये बहनें अपनी व्यथा सुना रही थीं, तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनका कलेजा कांप रहा था.

इसके साथ ही शिवराज सिंह ने बठिंडा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र पहुंचकर किसानों और स्वयं सहायता समूह की बहनों से संवाद किया.

भगवंत मान और केजरीवाल की डेडलाइन हमेशा डेड होती है- शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले पंजाब की जनता से नशा खत्म करने का वादा किया गया था. तीन महीने में नशा खत्म करने और छह महीने में नशे का नामोनिशान मिटाने की बात कही गई थी.

आधार हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड

Aadhar Housing Finance Ltd

कार्पोरेट कार्यालय : ऑफिस नं. 501 एवं 503, पाँचवी मंजिल, लाइटब्रिज, साकी विहार रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई सुबुरबन (जिला), महाराष्ट्र - 400072
देवास शाखा : प्लॉट नंबर 01, विमला टावर, दूसरी मंज़िल, राम नगर, ए.बी. रोड, देवास - 455001 (मध्य प्रदेश)
उज्जैन शाखा: 06/प्रथम मंजिल, कमला नेहरू मार्ग, फ्रीगंज, आईडीबीआई बैंक के ऊपर, शहीद पार्क के पास, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

आधिपत्य सूचना परिशिष्ट 4 (अचल संपत्ति हेतू)

जबकी, **आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (AHFL)** के प्राधिकृत अधिकारी के तौर पर सिक्युरीटाइजेशन एंड रिकंस्टक्शन ऑफ फायनेंशियल एसेट्स एण्ड इंफोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इंटस्ट एक्ट 2002 एवं सिक्युरिटी इंटस्ट (इंफोर्समेन्ट) नियम 2002 का नियम 3 के साथ सपठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना प्राप्ति के **60 दिवस** में नीचे सूचना में वर्णित राशि का पुर्नभुगतान करने के लिए ऋणकर्ताओ/ प्रतिभूतिकर्ताओं को मांग सूचना (ए) जारी की थी। ऋणकर्ताराशि का पूर्नभुगतान करने में असफल रहे है, सिक्युरिटी इंफोर्समेन्ट नियम 2002 के नियम 8 के साथ सपठित उपरोक्त कानून की धारा 13 के सब-सेक्शन (4) के अंतर्गत के साथ प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ऋणकर्ता(ओ)/ प्रतिभूतिकर्ता(ओ) एवं सामान्य जनों को सार्वजनिक रूप में सूचित किया जाता है वर्णित संपत्ति पर अधोहस्ताक्षरकर्ता ने अधिगृहण कर लिया है। धरोहर संपत्ति के एवज में संपत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय सीमा पर कानून की धारा 13 का सब सेक्शन (8) के प्रावधानों पर ऋणकर्ताएं ध्यान देवे। ऋणकर्ता को विशेष रूप में एवं सामान्य जनो को सार्वजनिक रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि संपत्ति के साथ कोई व्यवहार न करें एवं संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नीचे वर्णित राशि के साथ शेष देय ब्याज के लिए AHFL के शुल्क के विषयानुसार होगी।

क्रं.	ऋणकर्ता(ओ)/प्रतिभूतिकर्ता (ओ)(शाखा का नाम)	धरोहर संपत्ति विवरण (अचल संपत्ति)	मांग सूचना का दिनांक एवं राशि	आधिपत्य का दिनांक
1	(लोन कोड नं. 02110000630 / देवास शाखा) कृपाल जाट (ऋणी) रोशनी बाई (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, मकान नं. 264, ग्राम आबादी सर्वे नं. 394, प.ह.नं. 48, गांव मंसाकर्नावद, ग्राम पंचायत मंसाकर्नावद, तहसील हाटपिपलिया एवं जिला देवास (म.प्र.) 455223, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः मनोहर गुलाब जाट का मकान, पश्चिमः बलराम गणपत जी का मकान, उत्तरः मनोहर गुलाब जाट का मकान, दक्षिणः रोड	13-05-2026 & ₹ 5,60,843/-	18-09-2026
2	(लोन कोड नं. 02010001038 / उज्जैन शाखा) राहुल (ऋणी) आरती सूर्यवंशी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं. 161/1 मीन 6 एवं F.F , मकान नं. 7, मक्सी रोड, पंवासा, वार्ड नं. 40, प्लॉट नं. 26, उज्जैन, म.प्र. 456010, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः प्लॉट नं. 25, पश्चिमः प्लॉट नं. 03, 04, 05 एवं 06, उत्तरः प्लॉट नं. 02, दक्षिणः रोड	10-07-2026 & ₹ 13,80,889/-	19-09-2026
3	(लोन कोड नं. 02010001047 / उज्जैन शाखा) हरिदास (ऋणी) संगीता (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, प.ह.नं. 70, तराना रोड, प्लॉट नं. 135, ग्राम गुराड़िया गुर्जर, तहसील घटिया, जिला उज्जैन, म.प्र. 456550, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः शामलियाती रास्ता एवं गोपाल दास का मकान, पश्चिमः धर्मेन्द्र दास का मकान, उत्तरः गोकुल दास का मकान, दक्षिणः धर्मेन्द्र दास का मकान	10-07-2026 & ₹ 13,48,678/-	19-09-2026
4	(लोन कोड नं. 02010001077/ उज्जैन शाखा) गोविंद सिंह (ऋणी) तेजू सिंह (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, सर्वे नं. 1741/3/1/1, प.ह.नं. 26, माकडोन रोड, नांदेड, प्लॉट नं. 63, नांदेड, तहसील माकडोन, जिला उज्जैन, म.प्र. 456668, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः कैलाश प्रजापति का प्लॉट, पश्चिमः राजेन्द्र सिंह का मकान, उत्तरः खुला स्थान, दक्षिणः रोड	10-07-2026 & ₹ 11,07,539/-	19-09-2026
5	(लोन कोड नं. 02010001591 / उज्जैन शाखा) मो. इब्राहिम खान (ऋणी) हमीदा बी (सह-ऋणी)	संपत्ति का समस्त शेष एवं सम्पूर्ण भाग, तल मंजिल एवं प्रथम मंजिल मकान नं. 4/1, गांधी नगर, आगर रोड, इंदिरा नगर रोड के अंदर, वार्ड नं. 06, उज्जैन, म.प्र. 456001, **चर्तुसीमाएँ:** पूर्वः कॉलोनी रोड, पश्चिमः बलराम सत्यनारायण की भूमि, उत्तरः नारायण का मकान, दक्षिणः गुड्डी का मकान	10-07-2026 & ₹ 13,03,170/-	19-09-2026

स्थान : मध्य प्रदेश
दिनांक : 22.09.2026
प्राधिकृत अधिकारी
आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड